भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5552
दिनांक 27 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण

5552. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने धुबरी जिले में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण, कौशल विकास और आजीविका संबंधी सहयोग के लिए विभिन्न योजनाएं/पहल लागू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचीबद्ध महिला कल्याण, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रमों सहित मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही उक्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान उक्त जिले से इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की योजना-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने धुबरी जिले के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में महिलाओं के बीच जागरुकता और आउटरीच कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए पहल की है ताकि वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का स्वयं लाभ उठा सकें; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.): सरकार देश में महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार ने महिलाओं की शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जीवन चक्र के सभी चरणों में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, ताकि वे तीव्र और सतत राष्ट्रीय

विकास में समान भागीदार बन सकें। यह 'महिला नेतृत्व वाला विकास' 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है, जिन्हें तीन मुख्य वर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है, अर्थात्: (1) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति; (2) देश में पोषण एवं स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0; और (3) कठिन परिस्थितियों में बच्चों के संरक्षण एवं कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य।

(1) मिशन शक्ति: 'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों को मजबूत करना है। यह मंत्रालयों/विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों पर समन्वय को बेहतर बनाने के लिए कार्यनीतियों का प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर केंद्रित है। मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए क्रमशः 'संबल' और 'सामर्थ्य' नामक दो उप-योजनाएं शामिल हैं।

"संबल" उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत घटक शामिल हैं।

- **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)**-वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) पूरे देश में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत और तत्काल सहायता प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनोसामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है। 20.03.2026 तक, देश में 926 ओएससी (ओएससी) कार्यशील हैं जिन्होंने देश में 13.37 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की है।
- **महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल)-** महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल-181) आपातकालीन और गैर-आपातकालीन दोनों स्थितियों में महिलाओं की सहायता के लिए 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है। यह पूरे देश में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करती है तथा सरकारी योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी देती है। महिला हेल्पलाइन 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशील है और ईआरएसएस-112 के साथ भी एकीकृत है। 28 फरवरी, 2026 तक, महिला हेल्पलाइन ने देश भर में 99.09 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की है।

- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)-** बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना 22 जनवरी 2015 को शुरु की गई थी जिसका उद्देश्य बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) और जीवन चक्र के दौरान लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने में सहायता देना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना ने सरकारी एजेंसियों, मीडिया, नागरिक समाज और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों को एकजुट करके एक नीतिगत पहल से राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया है। यह योजना देश के सभी जिलों में लागू की गई है।

- **नारी अदालत-**नारी अदालत योजना ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण मंच प्रदान करती है। इन अदालतों को पंचायत स्तर पर, संकटग्रस्त महिलाओं को घरेलू हिंसा और अन्य लिंग आधारित हिंसा से संबंधित छोटे मुद्दों को बातचीत, मध्यस्थता और आपसी सहमति से सुलह के माध्यम से हल करने में सहायता करने का दायित्व सौंपा गया है, ताकि सुलभ न्याय सुनिश्चित किया जा सके। वर्तमान में, असम राज्य और जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की 50 ग्राम पंचायतों तथा सिक्किम, उत्तर प्रदेश और मिजोरम की 10 ग्राम पंचायतों में प्रायोगिक आधार पर नारी अदालतें चलाई जा रही हैं।

"सामर्थ्य" उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना और संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) घटक शामिल हैं।

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)-** पीएमएमवीवाई केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत पहले बच्चे के लिए ₹5,000/- की नकद प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दी जाती है। पात्र लाभार्थियों को शेष नकद प्रोत्साहन राशि संस्थागत प्रसव के बाद, जननी सुरक्षा योजना के तहत मातृत्व लाभ के लिए स्वीकृत मानदंडों के अनुसार प्राप्त होती है, जिससे औसतन एक महिला को ₹6,000/- मिलते हैं। पीएमएमवीवाई के तहत दूसरे बच्चे के लिए भी ₹6,000/- की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है, बशर्ते दूसरा बच्चा बेटी हो। इस योजना की शुरुआत (01.01.2017) से लेकर 20.03.2026 तक, इस योजना के माध्यम से देश भर में लगभग 4.28 करोड़ महिलाओं को 20,144 करोड़ रुपये के लाभ प्रदान किए गए हैं। असम के धुबरी ज़िले में इस योजना के तहत पिछले पाँच वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का विवरण निम्नलिखित है:

	वर्ष	लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी
धुबरी	2020-21	4,558
	2021-22	17,282
	2022-23	19,490
	2023-24	6,367
	2024-25	9,902
	2025-26* (23.03.2026 तक)	9,382

पीएमएमवीवाई के बारे में जागरूकता और इसकी पहुँच को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय समय-समय पर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएमवीवाई के तहत पात्र लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाता है। क्षेत्रीय कर्मी स्तर पर, विभिन्न सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) तथा व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) गतिविधियाँ—जैसे प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्रों में विज्ञापन, रेडियो जिंगल्स का प्रसारण, सेल्फ़ी अभियान, घर-घर जाकर प्रचार और सामुदायिक कार्यक्रम—आयोजित की जाती हैं।

- **शक्ति सदन-** व्यापक 'मिशन शक्ति' के अंतर्गत, कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए पहले की 'स्वाधार गृह' योजना और दुर्व्यापार की रोकथाम के लिए 'उज्ज्वला गृह' योजना का 1 अप्रैल, 2022 से विलय कर दिया गया जिसे अब 'शक्ति सदन योजना' के नाम से जाना जाता है। यह एक एकीकृत राहत एवं पुनर्वास गृह है जो संकटग्रस्त महिलाओं, जिनमें दुर्व्यापार की शिकार महिलाएं भी शामिल हैं, के लिए है। इसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सहायक वातावरण तैयार करना है, ताकि वे प्रतिकूल परिस्थितियों से उबर सकें। वर्तमान में, देश भर में 419 शक्ति सदन कार्यशील हैं और धुबरी जिले सहित असम राज्य में 26 शक्ति सदन कार्यशील हैं।
- **सखी निवास** - मिशन शक्ति के अंतर्गत सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) एक मांग-आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है, वर्तमान में, देश भर में 560 सखी निवास कार्यशील हैं और असम राज्य में 10 सखी निवास कार्यशील हैं।
- **पालना-**पालना योजना के कार्यान्वयन का उद्देश्य क्रेच की पहुंच का विस्तार करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर जगह महिलाओं को काम करने का अवसर मिले और देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों के कारण वे कार्यबल से बाहर न रहें। पालना का लक्ष्य बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष तक) के लिए डे-केयर क्रेच की सुविधा

प्रदान करना है। 23.03.2026 तक, असम राज्य में 50 आंगनवाड़ी केंद्र-सह-क्रेच कार्यशील है।

- **संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू)-**संकल्प: एचईडब्ल्यू (महिला सशक्तिकरण केंद्र) मिशन शक्ति के सभी घटकों के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) के रूप में कार्य करता है। यह महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी और ज्ञान की कमी को दूर करने के साथ-साथ उन्हें लाभ और हक प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने वाली एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) के रूप में कार्य करता है।

 संकल्प केंद्र 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' (बीबीपी) के साथ मिलकर जागरूकता गतिविधियाँ, शिविर और अभियान आयोजित करके व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुँच बनाते हैं और जागरूकता फैलाते हैं। यह दृष्टिकोण लक्षित आईईसी सामग्री का प्रसार सुनिश्चित करके, स्थानीय जागरूकता अभियान आयोजित करके, और स्कूलों, कॉलेजों तथा सार्वजनिक मंचों पर लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम संचालित करके जागरूकता सृजन और सरकारी योजनाओं तक पहुँच में सुधार करता है। संकल्प केंद्रों को महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता अभियान चलाने के लिए वाहन की सुविधा के साथ-साथ अतिरिक्त वित्तीय आवंटन भी प्रदान किया गया है, ताकि महिलाओं से संबंधित गतिविधियों की पहुँच को और अधिक व्यापक बनाया जा सके।

 संकल्प: एचईडब्ल्यू पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है। आज तक, कुल 35 राज्य संकल्प: एचईडब्ल्यू और 742 जिला संकल्प: एचईडब्ल्यू कार्यशील हैं जिनमें धुबरी जिले में कार्यशील एचईडब्ल्यू भी शामिल हैं ।

मिशन शक्ति के अंतर्गत असम में पिछले पांच वर्षों के दौरान लाभार्थियों की संख्या **11,46,393** है।

(2) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत समग्र आयोजना और नीति के लिए जिम्मेदार है, जबकि इसका दिन-प्रतिदिन कार्यान्वयन राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के दायरे में आता है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, पात्र लाभार्थियों को छह सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है यानी पूरक पोषण, प्री-स्कूल अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं। छह सेवाओं में से तीन, अर्थात टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

मिशन पोषण 2.0 के तहत लाभार्थियों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र और जिलेवार डेटा पोषण ट्रैकर पर इस लिंक: https://www.poshantracker.in/statistics. पर उपलब्ध है।

(3) मिशन वात्सल्य: मिशन वात्सल्य (पूर्ववर्ती बाल संरक्षण सेवा योजना (आईसीपीएस)) एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है जिसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) के लिए बेहतर पहुंच और संरक्षण के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इन सेवाओं में संस्थागत देखभाल और गैर-संस्थागत देखभाल शामिल है, जिसका उद्देश्य है: (i) कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को सहायता और सहारा देना, (ii) अलग-अलग पृष्ठभूमि के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान विकसित करना, (iii) नवीन समाधानों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के लिए अवसर प्रदान करना और (iv) यदि आवश्यक हो, तो गैप फंडिंग के माध्यम से समन्वित कार्रवाई को सुदृढ़ करना।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से पात्र ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु 1 अप्रैल 2016 से **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)** क्रियान्वित कर रहा है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत, प्रारंभिक लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान 2.95 करोड़ मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना था। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है।

पीएमएवाई-जी योजना के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक इकाई मानते हुए मंत्रालय द्वारा लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं और जिलों/ब्लॉकों/ग्राम पंचायतों को आगे लक्ष्य राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्वयं दिए जाते हैं। मंत्रालय ने असम को 29.88 लाख मकानों का लक्ष्य दिया है, जिसके मुकाबले राज्य ने 29.09 लाख मकानों को मंजूरी दी है और 23.03.2026 तक 21.47 लाख मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने धुबरी जिले में 1.63 लाख मकानों का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसके मुकाबले 1.61 लाख लाभार्थियों को मकानों की मंजूरी दी गई है, 1.55 लाख लाभार्थियों के लिए सहायता की पहली किस्त जारी की गई है, 1.35 लाख लाभार्थियों को दूसरी किस्त जारी की गई है और 23.03.2026 तक 1.14 लाख मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है।

पीएमएवाई-जी दिशानिर्देशों के अनुसार, मकान का आवंटन विधवा/अविवाहित/अलग हुए व्यक्ति/ट्रांसजेंडर के मामले को छोड़कर किसी महिला के नाम पर या पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाएगा। इसके अलावा, महिलाओं के सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि पीएमएवाई-जी के अंतर्गत सभी मकानों के लिए स्वीकृत विवरण/स्वामित्व विवरण (चाहे एकल स्वामित्व हो या संयुक्त स्वामित्व) में परिवार की महिला सदस्यों के नाम शामिल किए जाने चाहिए और यदि

प्रारंभिक स्वीकृति पुरुष सदस्य के नाम पर दी गई है, तो स्वीकृति पत्र में महिला सदस्य/सदस्यों को द्वितीयक मालिक के रूप में जोड़ा जाए।

पीएमएवाई-जी योजना के अंतर्गत, **आवास सखी (जानकारी, सहयोग और नवाचार के लिए सहायता आवेदन)** एक अभिनव मोबाइल एप्लिकेशन है जिसे आवश्यक जानकारी और संसाधनों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराकर पीएमएवाई-जी तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए विकसित किया गया है। इस एप्लिकेशन के माध्यम से लाभार्थी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं और योजना के लिए अपनी पात्रता का निर्धारण कर सकते हैं, जिससे उन्हें सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है।

इसके अलावा, आवास सखी योजना लाभार्थियों और उनके समुदाय को मकान निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होने का मार्ग प्रशस्त करती है, जिसके तहत मकान के डिजाइन के प्रकार, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध बीआईएस प्रमाणित सामग्री और प्रशिक्षित ग्रामीण राजमिस्त्री उपलब्ध कराए जाते हैं। आवास सखी, अपने नाम के अनुरूप पीएमएवाई-जी योजना में सहायता प्रदान करने, जानकारी तक पहुंच को सुगम बनाने और नवाचार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। यह एप्लिकेशन लाभार्थियों को आवश्यक जानकारी और साधन आसानी से उपलब्ध कराता है, जिससे उन्हें योजना का पूरा लाभ उठाने और एक सुरक्षित और मजबूत मकान के मालिक बनने के अपने सपने को साकार करने में सुलभता होती है।

पीएमएवाई-जी योजना के तहत, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) नेटवर्क की सेवाओं का उपयोग करते हुए, समुदाय आधारित सहभागी निगरानी प्रणाली भी उपलब्ध है। कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने और मकान निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता की निगरानी के लिए गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों की सेवाओं का भी उपयोग किया जाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) भी क्रियान्वित कर रहा है, जो हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है और इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र शामिल हैं। इसमें गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले सभी वर्ग के लाभार्थी शामिल हैं। कार्यक्रम के तहत, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले और एनएसएपी दिशानिर्देशों में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग व्यक्तियों को 200 रुपये से 500 रुपये प्रति माह तक की पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

यद्यपि एनएसएपी के अंतर्गत सभी उप-योजनाओं में महिला लाभार्थी शामिल हैं, तथापि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) 100% महिला-केंद्रित योजना है जिसके तहत पात्रता आयु 40 वर्ष है और पेंशन राशि 300 रुपये प्रति माह है। 80 वर्ष की आयु होने के बाद, लाभार्थी को 500 रुपये प्रति माह मिलेंगे।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को कम से कम केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के बराबर टॉप अप राशि प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि लाभार्थियों को अच्छी सहायता मिल सके। वर्तमान में, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र विधवा पेंशन योजना के तहत प्रति लाभार्थी प्रति माह ₹200/- से ₹3700/- तक की टॉप अप सहायता प्रदान कर रहे हैं।

एनएसएपी योजनाओं के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि डिजिटाइज्ड लाभार्थियों की संख्या या उनकी निर्धारित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र धनराशि सीमा, दोनों में से जो भी कम हो, के आधार पर वितरित की जाती है। एनएसएपी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है कि वे लाभार्थियों को ग्राम/ब्लॉक/वार्ड/जिला स्तर पर लाभ वितरित करें। असम में पिछले पांच वर्षों के दौरान आईएनजीडब्ल्यूपीएस के तहत लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है:

2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1,37,463	1,21,181	1,19,955	1,19,955	1,19,955

एनएसएपी के दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया है कि एनएसएपी की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों और उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में पोस्टर**,** ब्रोशर**,** मीडिया और अन्य माध्यमों से व्यापक और निरंतर प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके अतिरिक्त**,** प्रशासनिक व्यय का 1% सूचना**,** शिक्षा एवं संचार (आईईसी)-जागरूकता गतिविधियों के लिए रखा जाए।

इसके अतिरिक्त, **ग्रामीण विकास मंत्रालय** का ग्रामीण कौशल प्रभाग व्यापक दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत देश में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए लाभकारी रोजगार हेतु कौशल विकास के क्षेत्र में दो कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

(1) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई): डीडीयू-जीकेवाई 15-35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए रोजगार-उन्मुख कौशल विकास कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करता है और नियमित श्रम बाजार में उनकी सहभागिता को सुगम बनाता है, जिससे उन्हें न्यूनतम मजदूरी के बराबर या उससे अधिक नियमित मासिक वेतन वाले रोजगार प्राप्त होते हैं। डीडीयू-जीकेवाई के दिशानिर्देशों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (50%), महिलाओं (33%) और दिव्यांगजनों (5%) का सामाजिक समावेशन शामिल है।

पिछले 5 वर्षों में धुबरी जिले से डीडीयू-जीकेवाई योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की संख्या नीचे दी गई है –

वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित महिलाएं	नियोजित महिलाएं
2021-22	120	54	39	15
2022-23	419	185	117	61
2023-24	196	195	123	92
2024-25	277	44	271	41
2025-26 (28.02.2026 तक)	88	191	88	191

इसके अलावा, डीडीयू-जीकेवाई के तहत जागरूकता और संपर्क गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

- समुदाय आधारित जुटाव: एएसआरएलएम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, जिनमें ग्राम स्तर की बैठकें, परामर्श सत्र और जुटाव शिविर शामिल हैं, ताकि महिलाओं को डीडीयू-जीकेवाई के अवसरों के बारे में जागरूक किया जा सके।
- सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) तथा पहुंच गतिविधियां: दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यक्रम की दृश्यता बढ़ाने के लिए पैम्फलेट, पोस्टर जैसी सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री का उपयोग किया जाता है और स्थानीय भाषाओं में अभियान चलाए जाते हैं।
- स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी: पात्र महिला लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए ग्राम पंचायतों, सामुदायिक स्रोत व्यक्तियों और ब्लॉक-स्तरीय मिशन इकाइयों के साथ सहयोग किया जाता है।
- महिलाओं के लिए विशेष जुटाव अभियान: महिलाओं, विशेष रूप से कमजोर और उपेक्षित समूहों की महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उनकी समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए जाते हैं।
- परामर्श और सुलभ सहायता: सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने और प्रतिभागियों को कार्यक्रम में बनाए रखने के लिए नामांकन से पहले परामर्श, करियर मार्गदर्शन और नियोजन के बाद सहायता प्रदान की जाती है।
- परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) की भागीदारी: परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को विशेष रूप से कम सुविधा प्राप्त और दूरस्थ क्षेत्रों में लक्षित जुटाव और जागरूकता अभियान चलाने का दायित्व सौंपा गया है।

इन उपायों का सामूहिक उद्देश्य धुबरी जिले में डीडीयू-जीकेवाई में महिलाओं की भागीदारी में सुधार करना और कौशल प्रशिक्षण और स्थायी आजीविका तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है।

(2) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई):

- ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, जो कौशल विकास के माध्यम से स्थायी आजीविका को बढ़ावा देता है और न्यूनतम 70% रोजगार का लक्ष्य रखता है। यह स्किल इंडिया मिशन के एक कार्यनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के सामान्य मानदंडों का पालन करता है।

- आरएसईटीआई ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और प्रायोजक बैंकों के बीच त्रिपक्षीय साझेदारी के माध्यम से संचालित होता है। बैंक प्रत्येक प्रमुख जिले में कम से कम एक आरएसईटीआई स्थापित करते हैं ताकि ग्रामीण युवाओं (18-50 वर्ष) को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित, मुख्य रूप से आवासीय, अल्पकालिक राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा सके, जिसमें स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्यम विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, साथ ही क्रेडिट लिंकेज और दो वर्षों का मार्गदर्शी सहयोग भी दिया जाता है।

- यह योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगजनों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करती है तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं और विभागों के साथ समन्वय के माध्यम से, एनआरएलएम, पीएमईजीपी, डीएवाई-एनयूएलएम, मुद्रा, पीएमएवाई-जी और एमजीएनआरईजीए तथा अन्य आजीविका और उद्यमिता प्रोत्साहन पहलों के तहत चिन्हित लाभार्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करती है, जिससे रोजगार क्षमता में वृद्धि होती है, संकट के समय पलायन कम होता है और ग्रामीण आजीविका मजबूत होती है।

पिछले 5 वर्षों में धुबरी जिले से **आरएसईटीआई** योजना का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है –

वित्तीय वर्ष	कुल		महिलाएं (कुल में से)	
	प्रशिक्षित	रोजगार प्राप्त	प्रशिक्षित	रोजगार प्राप्त
2021-22	604	334	554	334
2022-23	711	582	666	537
2023-24	939	690	885	642
2024-25	1304	928	1200	827
2025-26 (28.02.2026 तक)	869	725	841	725

आरएसईटीआई के अंतर्गत धुबरी आरएसईटीआई, बैंकों, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों और स्थानीय प्रशासन के समन्वय से नियमित रूप से जागरूकता और जन-जुटाव गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, ताकि ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और स्वरोजगार कार्यक्रमों के लिए प्रेरित किया जा सके। इस संबंध में, आरएसईटीआई के निदेशक और संकाय सदस्य जिले भर में प्रति माह पांच उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) आयोजित करते हैं।

इन गतिविधियों में ग्राम स्तर पर जागरूकता शिविर, परामर्श सत्र और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ संवाद शामिल हैं, ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सके। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगार महिलाओं को संगठित करना, आरएसईटीआई प्रशिक्षण कार्यक्रमों और स्वरोजगार के अवसरों के बारे में जागरूकता फैलाना तथा विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और क्रेडिट लिंकेज तक पहुंच को सुगम बनाना है।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) भी महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण, कौशल विकास और आजीविका सहायता के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है:

(1) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई): कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) वर्ष 2015 से अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत धुबरी जिला सहित देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाता है और पूर्व अधिगम को मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशल उन्नयन एवं पुनः कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल से युक्त करके रोजगार के अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है।

पीएमकेवीवाई के तहत, धुबरी जिले में 31.12.2025 तक कुल 26468 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित/मार्गदर्शन दिया गया है, जिनमें से 16736 महिलाएं हैं। धुबरी जिले में 31.12.2025 तक पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित/मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का लिंग-वार और वित्तीय वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(2) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस): कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) देश के युवाओं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, को कौशल प्रदान करने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के नेटवर्क के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) कार्यान्वित करता है।

आईटीआई में, एनएसक्यूएफ से संबद्ध 169 व्यवसायों में शिल्पकार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक व्यवसाय का अपना अलग पाठ्यक्रम है। प्रशिक्षण की अवधि छह महीने, एक वर्ष और दो वर्ष है। सीटीएस के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संबंधित व्यवसायों में बुनियादी कौशल और ज्ञान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, ताकि प्रशिक्षुओं को वेतनभोगी रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार किया जा सके।

वर्तमान में देश में 14,688 आईटीआई स्थापित हैं, जिनमें से 3,345 सरकारी और 11,343 निजी आईटीआई हैं। असम के धुबरी जिले में केवल 1 आईटीआई कार्यशील है।

सत्र 2021-22 से 2025-26 तक सीटीएस के अंतर्गत आईटीआई में कुल 67,07,804 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है। असम के धुबरी जिले में सत्र 2021-22 से 2025-26 तक सीटीएस के अंतर्गत आईटीआई में 34 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन प्रशिक्षण महानिदेशालय, देश भर में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) के नेटवर्क के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए 169 एनएसक्यूएफ के अनुरूप पाठ्यक्रमों में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इन 169 व्यवसायों में से निम्नलिखित 7 व्यवसाय महिला-केंद्रित हैं।

क्र.सं.	**व्यवसाय का नाम**	**प्रवेश के लिए योग्यता**	**एनएसक्यूएफ स्तर**	**अवधि**
1.	वस्त्र निर्माण	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	स्तर – 2.5	एक वर्ष
2.	सिलाई तकनीकी	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	स्तर – 2.5	एक वर्ष
3.	सरफेस ओर्नामेंटेशन तकनीक (कढ़ाई)	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	स्तर – 2.5	एक वर्ष
4.	कंप्यूटर आधारित कढ़ाई और डिजाइनिंग	दसवीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण	स्तर – 3.5	एक वर्ष
5.	फैशन डिजाइन और तकनीक	दसवीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण	स्तर – 3.5	एक वर्ष
6.	कॉस्मेटोलॉजी	दसवीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण	स्तर – 3.5	एक वर्ष
7.	स्पा थेरेपी	दसवीं कक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण	स्तर – 3.5	एक वर्ष

महिलाओं सहित युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) ने शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) पाठ्यक्रमों में 'रोजगार कौशल' विषय के पाठ्यक्रम को संशोधित किया है। इसमें उद्यमिता, बुनियादी अंग्रेजी कौशल, संचार कौशल, आवश्यक डिजिटल कौशल और वित्तीय एवं कानूनी साक्षरता जैसे सॉफ्ट स्किल्स और उद्यमिता कौशल के विकास क्षेत्र शामिल हैं।

(3) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना: स्किल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत जन-शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना का उद्देश्य भारत सरकार से 100% अनुदान के साथ लाभार्थी के घर पर अनौपचारिक तरीके से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार/वेतनभोगी रोजगार को बढ़ावा देकर परिवारों की आय में वृद्धि करना है। इस योजना के लक्षित लाभार्थी 15-45 वर्ष की आयु के निरक्षर, प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति और कक्षा 12वीं तक के स्कूल छोड़ चुके छात्र हैं। प्राथमिकता वाले समूहों में महिलाएं (83%), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी निम्न-आय वाले क्षेत्रों में अल्पसंख्यक शामिल हैं।

वर्तमान में, धुबरी जिले में केवल एक ही जेएसएस सक्रिय है। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 31 दिसंबर 2025 तक जेएसएस योजना के तहत जेएसएस धुबरी में प्रशिक्षित लाभार्थियों की कुल संख्या 4,680 है।

जेएसएस योजना ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की महिलाओं तक पहुंचने के लिए समुदाय-आधारित जुटाव दृष्टिकोण अपनाती है। लाभार्थियों को जुटाने का कार्य बुनियादी स्तर पर घर-घर जाकर सर्वेक्षण, ग्राम सभाओं, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी), पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय सामुदायिक संगठनों के साथ संवाद के माध्यम से किया जाता है। इन जनसंपर्क गतिविधियों से विशेष रूप से ग्रामीण और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य कमजोर समूहों की महिलाओं की पहचान और उन्हें संगठित करने में मदद मिलती है।

इस दृष्टिकोण की प्रभावशीलता, इस योजना के तहत भागीदारी पद्धति में परिलक्षित होती है, जिसमें जेएसएस के तहत प्रशिक्षित कुल लाभार्थियों में 80-83% से अधिक महिलाएं हैं, जो सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की महिलाओं के बीच अच्छी पहुंच का संकेत देता है। इस योजना का घर-घर जाकर प्रशिक्षण देने का मॉडल, सुविधानुसार बढ़ाए या घटाए जा सकने वाले प्रशिक्षण के घंटे और स्थानीय रूप से प्रासंगिक व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं सहित महिलाओं की भागीदारी को और अधिक सुगम बनाते हैं।

(4) राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस): भारत सरकार ने अगस्त 2016 में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना' (एनएपीएस) शुरू की। 2022-23 से, यह योजना एनएपीएस-2 के रूप में जारी है और महिलाओं सहित पूरे देश के लिए कार्यान्वित है। एनएपीएस-2 का उद्देश्य देश में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है, जिसके तहत प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कार्यरत शिक्षुओं को आंशिक वजीफा सहायता प्रदान करना, प्रशिक्षुता प्रणाली की क्षमता बढ़ाना और हितधारकों को उनके अधिकारों के लिए सहायता प्रदान करना शामिल है। तदनुसार, यह योजना प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षु को भुगतान किए गए वजीफे के 25% तक आंशिक वजीफा सहायता प्रदान करती है, जो प्रति माह अधिकतम 1,500 रुपये तक हो सकती है। भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रशिक्षुता सहायता का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रशिक्षु के बैंक खाते में किया जा रहा है। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के अंतर्गत, प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अनुसार, नियोक्ता के लिए प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रशिक्षुओं को काम पर रखना अनिवार्य नहीं है।

जहां महिला-केंद्रित व्यवसायों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाता है, वहीं संस्थानों को 1961 के प्रशिक्षुता अधिनियम के तहत यथानिर्धारित अनिवार्य रूप से समावेशी और सुरक्षित प्रशिक्षण वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रशिक्षुता अधिनियम की धारा 14 में प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं की सुरक्षा और कल्याण संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। यदि प्रशिक्षु किसी कारखाने में कार्यरत है, तो कारखाना अधिनियम, 1948 के संबंधित अध्याय (III, IV और V) उन पर उसी प्रकार लागू होते हैं जैसे वे श्रमिक हों। यदि प्रशिक्षु किसी खदान में कार्यरत है, तो खान अधिनियम, 1952 के प्रासंगिक प्रावधान उन पर उसी तरह लागू होते हैं मानो वे नियमित कर्मचारी हों। इसका अर्थ यह है कि सुरक्षा उपाय, कार्य के लिए उपयुक्तता, कल्याण सुविधाएं और अन्य सुरक्षात्मक मानदंड प्रशिक्षुओं पर भी औपचारिक कर्मचारियों के समान ही लागू होते हैं। हालांकि प्रशिक्षु अधिनियम में लिंग या लैंगिक उत्पीड़न को अलग से उल्लखित नहीं किया गया है, फिर भी प्रशिक्षु की लैंगिक स्थिति कुछ भी हो, वह कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पॉश अधिनियम) के व्यापक दायरे में आता है। अधिनियम की धारा 15 कार्य समय को नियंत्रित करती है, अनधिकृत ओवरटाइम पर रोक लगाती है और कर्मचारियों के समान अवकाश/छुट्टी के अधिकार प्रदान करती है। अठारह वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण संस्थान के सामान्य कार्य समय के दौरान होगा। 18 वर्ष से कम आयु के प्रशिक्षुओं के लिए कार्य समय सुबह 8:00 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच होगा। हालांकि, संबंधित प्रशिक्षु सलाहकार इनको घटाने या बढ़ाने की अनुमति दे सकता है।

प्रशिक्षुता हितधारक जुड़ाव में, महिला प्रशिक्षुओं को शामिल करने पर बल दिया जा रहा है। इसके अलावा, जून 2022 से, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रप्रशिक्षुता मेला (पीएमएनएएम) उम्मीदवारों को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण में अवसरों का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करता है और संभावित उम्मीदवारों की पहचान करने और प्रशिक्षुओं के चयन में संस्था को सुविधा

प्रदान करता है। यह आयोजन असम सहित राज्य के कम से कम एक तिहाई जिलों में प्रत्येक माह के दूसरे सोमवार को आयोजित किया जाता है।

पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान एनएपीएस 2 के तहत पूरे देश में, असम राज्य में और विशेष रूप से धुबरी जिले में नियोजित प्रशिक्षुओं का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	**विषय**	**पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान एनएपीएस-2 के तहत नियोजित कुल प्रशिक्षुओं की संख्या**	**पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान एनएपीएस-2 के तहत नियोजित महिला प्रशिक्षु**
1	अखिल भारत	35,53,948	7,50,229
2	असम (सभी जिले)	40,095	16,806
3	धुबरी जिला, असम	1,404	710

<u>अनुलग्नक</u>

"महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण" के संबंध में पूछे गए दिनांक 27.03.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5552 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

31.12.2025 तक धुबरी जिले में पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित/उन्मुख(ओरिएंटेड) अभ्यर्थियों का लिंगवार, वित्तीय वर्षवार विवरण।

वित्तीय वर्ष	महिला	पुरुष	ट्रांसजेंडर	कुल प्रशिक्षित/उन्मुख(ओरिएंटेड)
2015-16	841	1,100		1,941
2016-17	0	76		76
2017-18	870	323		1,193
2018-19	689	450		1,139
2019-20	3,321	1,004	1	4,326
2020-21	5,236	4,817	4	10,057
2021-22	534	374		908
2022-23	200	178		378
2023-24	2,174	636		2,810
2024-25	2,728	672		3,400
2025-26	143	97		240
कुल	**16,736**	**9,727**	**5**	**26,468**
